COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES Rs.20 CANCELLED

(149)

समक्ष न्यायालय श्रीमान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महोदय, जबलपुर संभाग, जबलपुर म.प्र.

राजस्व निगरानी/अपील क–   /2016

अपील–5179–I–16

1. मेसर्स निर्मल एग्रो कार्यालय 888, सब्जी मंडी, गोरखपुर, जबलुपर द्वारा पार्टनर्स श्री छप्पन सिंह ठाकुर पिता श्री बी.एस. ठाकुर निवासी– 888 गोरखपुर, जबलपुर म.प्र.
2. श्री गौतमचंद जैन पिता श्री स्व.हरीशचंद जैन निवासी– म.नं. 198 जैन मंदिर के पीछे, सदर बाजार, जिला जबलपुर म.प्र.

अपीलार्थीगण

19 JUL 2016

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन
2. श्रीमती मुलिया बाई पासी पत्नी श्री लालता प्रसाद काछी निवासी– तीसरा पुल केन्ट तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

प्रत्यर्थीगण

(163)

24.7.16

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 47 (क) (5) उपधारा 8 भारतीय स्टाम्प अधिनियम।

यह निगरानी/अपील विचारण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जबलपुर म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्र. 183/बी–105/47 (क)(1)/2014–15 जिसमे पक्षकार म.प्र. शासन विरूद्ध मुलिया बाई पास (क) एवं अन्य मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27/01/2016 से क्षुब्ध एवं परिवेदित होकर निम्नांकित अपील प्रस्तुत की जा रही है :–

अपील के तथ्य

1. यह कि, विक्रेती श्रीमती मुलिया बाई पासी पति स्व.श्री लालता प्रसाद पासी ने अपनी संपत्ति मौजा तेवर प.ह.नं. 18, रा.नि.मं. जबलपुर–2, तहसील व जिला जबलपुर म.प्र. स्थित कृषि स्थित खसरा नं. 970 का कुल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक 7179—एक/2016 अपील

धाग दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अि आदि के हस्ताक्ष
18/4/19	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया । यह अपील कलेक्टर आफ स्टाम्पस् जिला जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 183/बी—105/2014—15 में पारित आदेश 27—1—16 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। २/ म०प्र०शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय भोपाल व्दारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 सितम्बर 2018 में प्रकाशित अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनयम 1899 की धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (घ) में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आफ स्टाम्पस् व्दारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील राजस्व आयुक्त को होगी । तद्नुसार प्रकरण आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सुनवाई हेतु अंतरित किया जाता है। पक्षकार आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में दिनांक 28—5—2019 को उपस्थित रहें। सदस्य आयुक्त, जबलपुर संभाग,	